

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri आनन्दप्रवेश मिश्र

S/O W/O D/O स्व. जुगल मिश्र Village जोतरा बेरीटोली

P.S. सिन्धोरा District Simdega to transfer the following land to

Sri (मोल्डा केलेडा) S/O, W/O D, O रामपुर केलेडा

Village पिचरा कटोली P.S. सिन्धोरा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 17/4/17
in Rev. C.N.T. Case No. 276 of 2016-17
U/S 46 C.N.T. Act.

Village	Thana No	Khata No	plot No	Area (in acres)	Value for Sale
जोतरा	80	179	3100	2.11 एकड़	3,87,040.200
अरिजगुला	सिन्धोरा			0.10 एकड़	

चौखी -

30 इसी लॉट के कोटा का 10 का कच्चा काता
40 इसी लॉट का बिंडा
50 इसी लॉट का बिंडा
60 इसी लॉट का बिंडा

Sd
L.R.D.C. Simdega

Memo No. 323 (11) ---/Rev. Dated (Simdega the 17/4/17)

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri आनन्दप्रवेश मिश्र

जिता स्व. जुगल मिश्र

Village जोतरा बेरीटोली P.S. सिन्धोरा

District Simdega


For information and needful



L.R.D.C. 17/4/17
उप समाहर्ता
र. पु. सिमडेगा

न्यायालय लगानवाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा
अनुमति वाद संख्या 276 आर 8(11) / 2016-17

आन्ध्रेयस मिंज आवेदक।
बनाम
झारखण्ड सरकार..... विपक्षी।



आदेश

1

2

3

आवेदक आन्ध्रेयस मिंज पिता स्व० जुनास मिंज ग्राम-गोतरा बेरीटोली थाना सिमडेगा जिला-सिमडेगा ने निर्माकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 के तहत विक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरण

मौजा	थाना	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
गोतरा	सिमडेगा	80	179	3100	2.11 ए० में से 0.10 ए०


कुल रकबा दस डिसमिल मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को मकान बनाने हेतु केता एमेलडा केरकेट्टा पिता श्री सामुएल केरकेट्टा ग्राम-पिथरा बनटोली पो० पिथरा थाना सिमडेगा जिला-सिमडेगा (जाति खड़िया) को विक्री कर रहे हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो मौजा सिमडेगा थाना-सिमडेगा जिला सिमडेगा के आम जनता एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा, जिला सिमडेगा को आम सूचना दी गई थी। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 202 दिनांक 09.02.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। उक्त भूमि के वर्तमान जमाबंदीदार मतलु उरांव वो ढोमे उरांव पे० डोन्डों उरांव वो चुमनु उरांव वो मंगरा उरांव पे० सोहराई उरांव के नाम से दर्ज हैं। लगान आवेदक के द्वारा दिया जाता है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के अपने हिस्से की है। विक्रेता एवं केता दोनो अनुसूचित जाति उरांव एवं खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि विक्री के पश्चात आवेदक के पास 32.70 एकड़ भूमि शेष बचता है। जो इन्हें उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है।

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति एवं केता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र संख्या 478659 दिनांक 13.10.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत है तथा बिक्री की जाने वाली जमीन की चौहदी भी प्रस्तुत है, जो अभिलेख में संलग्न है। आवेदक अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा-गोतरा मरियमपुर थाना न० 80 थाना-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न० 179 प्लॉट न० 3100 रकबा 0.10 एकड़ जमीन को मकान बनाने हेतु केता एमेलडा केरकेट्टा पिता श्री सामुएल केरकेट्टा ग्राम-पिथरा बनटोली पो० पिथरा थाना सिमडेगा थाना जिला-सिमडेगा को मो० 3,87,040.00 (तीन लाख सतासी हजार चालीस) रुपये मात्र में अपने खुशी राजी से विक्री कर रहा हूँ। उक्त जमीन विक्री करने के बाद मेरे पास 32.70 एकड़ जमीन शेष बचती है। विक्रेता एवं केता दोनो अनुसूचित जाति उरांव एवं खड़िया जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा-गोतरा मरियमपुर थाना न० 80 थाना-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न० 179



प्लॉट नं० 3100 रकबा 0.10 ए० जमीन को आवेदक आन्धेयस मिज पिता स्व० जुनास मिज ग्राम-गोतरा बेरीटोली थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा को क्रेता एमेलडा केरकेहा पिता श्री सामुएल केरकेहा ग्राम-पिथरा बनटोली पो० पिथरा थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

अनुमति

टंकित एवं संशोधित।

लगानवाद भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।

लगानवाद भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।

पुनश्च तालिका तीन प्रति में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी, सिमडेगा को भेजें।

लगानवाद भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा।



संशोधन पत्र का स्थान
संशोधन स्थान
संशोधन स्थान
संशोधन स्थान
संशोधन स्थान

P = 5 = 00
12
8 = 00
मूल्य 13 = 00
कुल मूल्य (रुपय) मात्र

Received by
Emellab Sirend
Adv.
25/4/19



प्रधान लिपिक



कार्यालय, अंचल अधिकारी

दिनांक

पत्रांक 202

दिनांक 09/02/16

श्री. में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/भूमि सुधार उपसमाहता सिमडेगा।

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत
जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

प्रश्न : अनुमति वाद संख्या 276 सन् 2016-17

1. विक्रेता के संबंध में प्रश्न

1) क- आवेदक (हस्तान्तरणकर्ता) का नाम

पिता का नाम/पूर पता

ख- जाति

2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध का नाम

3) जमीनदारी विलियम के पश्चात् उक्त जमीन की जमाबंदी संख्या तथा जमाबंदी वार का नाम

4) वर्तमान जमाबंदी संख्या/ जमाबंदी वार का नाम

5) वर्तमान जमाबंदी को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ

6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम :

7) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध

8) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का

उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल

कब्जा

9) क्या आवेदक बड़े भू-धारी के अथवा बड़े भूधारी के

वंशज हैं, जिनके विरुद्ध लेण्ड सिलिंग का केश है

10) क - क्या उक्त जमीन मूलान की है

ख- लेण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित है

11) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य

12) जमीन का किस्म एवं ब्यौर

13) जमीन का मूल्य जो थाल-बाल की उक्त किस्म जमीन

विक्री के अनुसार हो

14) जमीन का वर्तमान मूल्य

15) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि

16) विक्री के बाद शेष भूमि



श्री- कास्ट्रैक्स मित्र पिता ए. तुलना मित्र

श्री-एम ग्राफ-गोररा श्रीदेवी भाना + मित्रा - सिमडेगा

इंदरौप
वो- डीपी उरौप के डीपी उरौप

वो- धुमनु उरौप को मंपरा उरौप के सोहरई उरौप

142/1
पूरा से 89+179/1 संख्या- 32-90 एकड़

डोपी उरौप पिता हुन्ही उरौप

उरौप
उरौप के रूप में मंगलनी

उरौप/भिकरी के रूप में डोपी उरौप

उरौप/उरौप डोके उरौप धुमनु

उरौप/उरौप (नासक) मंगलनी

उरौप/उरौप (विकाहिरा मूस) मंगलनी

उरौप/उरौप (इनासिखुस मित्र अरौप) आरुंधर मित्र

उरौप/उरौप (विक्रेता) मंगलनी

ग्राम/थाना सं० - खता सं० - खाता सं० - स्कबा - किस्म टॉइ 7

गौरा सं० 179 3100 2-11 ए.के.टी काथवीर

मरिचमुल 0.10र.

: 38704 = 00/- प्रति बि.

: 3,87,040 = 00

: 32,80 रु.

: 22,710 रु.





(2)

2. क्रेता के सम्बन्ध में

- 1) क- क्रेता का नाम/पिता का नाम
घर का पूरा पता
ख- जाति
- 2) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ?
- 3) जमीन खरीदने का कारण/आवश्यकता
- 4) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिलिंग का वाद चला है
- 5) उसके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है
- 6) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्यौरा
- 7) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/ उद्देश्य औचित्य
- 8) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्यौरा
- 9) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा की शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है

: रुमैल्हा करकेहा पिता - श्री - सामुएल करकेहा
ग्राम - पिपरा बनटोली पो - पिपरा थाना + जिला - सिमडेगा
: खाइया
: विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही भाग के निवासी हैं।
: ग्रह निर्माण हेतु।

:x

:-

:x

:x

:x

:x

10) अभ्युक्ति

मखभम
विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक भाग के निवासी हैं
एवं भू-ज.जा. की शर्तों में आते हैं विक्रेता
आपने इससे एवं दायतल प्राप्ति की शर्त
के विक्रेता के रूप में विक्रेता हैं परन्तु
82.70 एकड़ भूमि ग्रहण करती हैं।
अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है।

(Signature)
M.M.P.

CO. Simdega

आप
एलका कर्ष. के जॉन्स प्रतिवेदन
के आधार पर - CNT Act के Sec 46
के अन्तर्गत विधिमार्ग हो तो अटोर
परिवार को जा सकता है।

14.12.16
CI



(Signature)
अंशुल अधिकारी सी
सिमडेगा
वार्ड

